परिपत्र संख्या 21/2021-सीमाशुल्क

फा.सं.450/179/2021-सीमाशुल्क- IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

*****

कमरा नंबर 227बी, नॉर्थ ब्लॉक,

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर, 2021

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक),

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर,

सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक),

सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर,

सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक सीबीआईसी के अंतर्गत।

महोदय/महोदया,

विषय: निर्यात कार्गो के लिए कंटेनर की उपलब्धता को आसान बनाने के संबंध में।

अधिसूचना संख्या 104/1994-सीमाशुल्क, दिनांक 16.03.1994 यथा संशोधित के अनुसार टिकाऊ प्रकृति के कंटेनरों को छूट के संबंध में जारी बोर्ड के परिपत्र संख्या 83/1998-सीमाशुल्क दिनांक 05.11.1998 के पैरा 4 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। यह अधिसूचना अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भी विशेष मामले में, 6 महीने के भीतर आयातित उक्त प्रकार के कंटेनरों के पुन:निर्यात की प्रारंभिक अवधि में पर्याप्त कारण बताए जाने पर सहायक आयुक्त द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

2. परिपत्र संख्या 83/1998-सीमा शुल्क में प्रावधान है कि “लिखित रूप में कारण बताये जाने पर सहायक आयुक्त उक्त अवधि को 6 माह के बाद भी 3 माह तक बढ़ा सकता है”

3. कन्टेनराइजड कार्गो के निर्यात के लिए वर्तमान में उपलब्ध कंटेनरों को आसान बनाने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में और लदे समुद्री कंटेनरों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह निर्देशित किया जाता है कि, जहां 6 महीने की प्रारंभिक अवधि 31.03.2022 तक या उससे पहले है, उपरोक्त परिपत्र का प्रावधान संबंधित आयात से 6 महीने की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति से पहले सूचना प्राप्त होने पर भी लागू किया जा सकता है कि कंटेनर को अगले 3 महीनों के भीतर लदी स्थिति में फिर से निर्यात किया जाएगा।

4. इस संबंध में किसी भी कठिनाई की सूचना बोर्ड को दी जा सकती है।

5. हिंदी संस्करण इस प्रकार है।

भवदीय,

(अनन्त राधाकृष्णन)

उपसचिव (सीमाशुल्क)